

**सी ए रितु रस्तोगी**  
**इन्साल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल**  
डी-2/33, तल 2, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058  
दूरभाषा: 011-28523038 मोबाइल: 9810037450

**कृपया ध्यान दें: मोज़र बेयर सोलर लिमिटेड के क्रेडिटर**

| क्र.सं. | संबंधित विवरण  | विवरण  |
|---------|--|--|
| 1.      | कॉर्पोरेट ऋणी का नाम   | मोज़र बेयर सोलर लिमिटेड  |
| 2.      | कॉर्पोरेट ऋणी के निगमन की तिथि                                     | 06-03-2007   |
| 3.      | कॉर्पोरेट ऋणी का निगमन/पंजीकरण प्राधिकरण                           | कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली एवं हरियाणा  |
| 4.      | कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणी की सीमित दायित्व पहचान संख्या | CIN - U74999DL2007PLC160162  |
| 5.      | कॉर्पोरेट ऋणी के आवास और मूल कार्यालय (यदि कोई) का पंजीकृत पता     | 43 बी, ओखला इंडस्ट्रियल स्टेट, नई दिल्ली-110020  |
| 6.      | कॉर्पोरेट ऋणी के लिए इन्साल्वेंसी शुरू करने की तिथि                | 14-11-2017   |
| 7.      | इन्साल्वेंसी निर्णय प्रक्रिया समाप्त करने की अनुमानित तिथि         | 12-05-2018   |
| 8.      | अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता, ई-मेल पता और रजिस्ट्रेशन नंबर | सीए रितु रस्तोगी<br>डी-2/33, तल 2,<br>जनकपुरी, नई दिल्ली-110058<br>ई-मेल: cirp.moserbaer@gmail.com<br>IBBI/IPA-00 /IP-P00204/2017-18/10393 |
| 9.      | दावों के जमा करने की अंतिम तिथि                                    | 27-11-2017   |

सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी कानून न्यायाधिकरण ने 14.11.2017 को मोज़र बेयर सोलर लिमिटेड के विरुद्ध कॉर्पोरेट दिवालियापन प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।

मोज़र बेयर सोलर लिमिटेड के ऋणदाताओं को सूचित किया जाता है कि 27.11.2017 या उससे पहले अपने दावों के प्रमाण डी-2/33, तल 2, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 में इंटरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल कार्यालय में प्रस्तुत करें।

ये दावे इन्साल्वेंसी एवं बैंकप्टसी बोर्ड ऑफ इंडिया (कॉर्पोरेट कारणों से इन्साल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के नियम 7, 8 और 9 के तहत निर्धारित फॉर्म बी, सी, डी और ई में प्रस्तुत करने होंगे।

आर्थिक ऋणदाता अपने दावों के प्रमाण केवल इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत करें। मजदूर और कार्मिक समेत परिचालन ऋणदाता अपने दावों के प्रमाण व्यक्तिगत तौर पर, डाक या इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।

गलत या भ्रामक दावे प्रस्तुत करने पर पेनैल्टी लग सकती है।

तिथि: 15.11.2017  
स्थान: नई दिल्ली

रितु रस्तोगी  
इंटरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल